

कार्यालय नगर पंचायत, रामपुर कारखाना, देवरिया।

पत्रांक

/नि०/को० सूचना-2014-15

दिनांक

जनवरी 2015

अल्प कालिक निविदा/कोटेशन सूचना

एतद्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है। कि 13 वें वित्त आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 व 2014-15 में प्राप्त धनराशि से नगर पंचायत रामपुर कारखाना देवरिया में निर्माण कार्य व विभिन्न सामग्री की आपूर्ति हेतु नगर पालिका परिषद/ लो०नि०वि० /आर० ई० एस० /जिला पंचायत तथा पंजीकृत फर्मों से जो वर्ष 2014-15 के पंजीकृत एवं नवीनीकृत हों, ठेकेदार/पंजीकृत फर्मों से दिनांक **29-01-2015** को दिन में 2.00 बजे तक मुहरबन्द निविदा/कोटेशन जिलाधिकारी देवरिया के एल०बी०सी० /टी०ए०सी० पटल पर आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय/अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) द्वारा उपस्थित निविदादाताओं/कोटेशनदाताओं के समक्ष अपराह्न 3.00 बजे खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र जिलाधिकारी कार्यालय के एल०बी०सी० पटल/कार्यालय नगर पंचायत रामपुर कारखाना से निर्धारित भुल्क जमा कर **दिनांक 28-01-2015** को समय 11.00 बजे से सांय 3.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। निविदा के साथ अग्रिम जमानत के रूप में 10 प्रतिशत धनराशि/एन०एस०सी० /के०वी०पी०/एफ०डी०आर० आदि जो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत रामपुर कारखाना के पद नाम से बन्धक हो, संलग्न कर उसका निविदा पर उल्लेख करना अनिवार्य होगा। अन्य नियम व भातों की विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में नगर पंचायत कार्यालय से की जा सकती है। इस विज्ञापन को बेवसाइट www.deoria.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

क्र० सं०	मद का नाम	कार्य/आपूर्ति का विवरण	जमानत धनराशि	निविदा/कोटेशन प्रपत्र मूल्य	कार्य अवधि
1	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन	1-स्त्रे फागिंग मशीन बट्टी चालित एक अदद 2-आटो चालित फागिंग मशीन एक अदद 3-चूना पाउडर, 4-मैलाथियान पाउडर, 5-पैराथ्रम द्रव्य 6-बिलिचिंग पाउडर 7-कुदाल वेट सहित 8-बेलचा	20,000.00	200.00	20 दिन
2	जलमल व्यवस्था	1-टैक्टर एक अदद महेन्द्रा 35 एच०पी० 2-हाइड्रोलिक प्रेसर ट्राली दो अदद	65,000.00 50,000.00	1000.00 500.00	20 दिन एक माह
3	इ-गर्वनेन्स	कम्प्यूटर मय प्रिन्टर सहित यू०पी०एस०,(डेल) फोटो कापी मशीन, पेपर ए-4 साफ्टवेयर (जन्म मृत्यु, परिवार रजिस्टर, आय-व्यय वेतन)	40,000.00	500.00	20 दिन
4	सीवर सेक्सन मशीन	3000 लीटर वेट सहित	85,000.00	900.00	20 दिन
5	जलापूर्ति	इण्डिया मार्का (द्वितीय) हैड पम्प रिपेयर /रिबोर कार्य कुल 95 अदद	10,000.00	100.00	दो माह

क्र० सं०	मद का नाम	कार्य/आपूर्ति का विवरण	आगणन धनराशि	जमानत धनराशि	निविदा/कोटेशन प्रपत्र मूल्य	कार्य अवधि
2	वर्शा जल की निकासी	मुन्ना सिंह के घर से दिलीप के घर होते हुये मेन रोड तक नाली रिपेयर कार्य वार्ड सं०-02	1,55,300-00	15530.00	200.00	एक माह

(2)

नियम एवं शर्त :-

- 1- निविदा दाता को जमानत की 10 प्रतिशत धनराशि निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसमें किसान विकास पत्र, एन0एस0सी0,एफ0 डी0 आर0 अथवा नकद अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत रामपुर कारखाना के पदनाम से प्लेज हो, जमा करना होगा। सामग्री आपूर्ति हेतु टेण्डर स्वीकृत होने के पश्चात नियमानुसार जमानत धनराशि जमा करना होगा।
- 2- एक या समस्त निविदाओं/कोटेशनों को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का सक्षम अधिकारी/अद्योहस्ताक्षरी में निहित होगा।
- 3- निविदादाता/कोटेशन दाता को अनिवार्य रूप से जिलाधिकारी देवरिया से प्राप्त अद्यतन अपना चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र तथा पंजीयन प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 4- निविदा/कोटेशन स्वीकृति के एक सप्ताह के अन्दर ठेकेदार को नियमानुसार कार्य सम्बन्ध में स्टाम्प एक्ट के अनुसार अपने व्यय से कोशागार से स्टाम्प क्रय कर अनुबन्ध/एकरारनामा अनिवार्य रूप से लिखना होगा।
- 5- ठेकेदार को निर्माण कार्य/आपूर्ति नियत समय के अन्दर पूर्ण करना होगा, अन्यथा 100-00 रुपये प्रति हजार प्रति दिन की दर से ठेकेदार को विलम्ब भुल्क देना होगा, अर्थात् ठेकेदार के बिल से उक्त विलम्ब भुल्क/जुर्माना की धनराशि काट ली जायेगी।
- 6- 100-00 (एक सौ रुपये) के स्टाम्प पेपर पर भाष्य पत्र तैयार कर किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अपना पासपोर्ट साइज का फोटो प्रमाणित करा कर निविदा/कोटेशन प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।
- 7- निविदा/कोटेशन के समय विवाद की दशा में अध्यक्ष नगर पंचायत रामपुर कारखाना का ही निर्णय मान्य होगा।
- 8- किसी भी फर्म/निविदादाता/कोटेशनदाता द्वारा या उसके सहयोगी द्वारा किसी प्रकार का व्यवधान डालने जैसे अभद्रता, दुर्व्यवहार आदि करने पर सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार को काली सूची में करते हुये प्रथम सूचना सम्बन्धित थाना में अंकित कराया जायेगा।
- 9- ठेकेदार/फर्म को आगणन के अनुसार कार्य करना होगा, किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर निविदा निरस्त कर दिया जायेगा।
- 10- किसी भी प्रकार का (कार्य स्थल) विवाद उत्पन्न होने पर जिला प्रशासन/नगर पंचायत द्वारा दिये गये आदेशों/निर्देशों का पालन ठेकेदार को करना होगा।
- 11- ठेकेदार को निविदा स्वीकृति के पश्चात कार्यादेश प्राप्त होने पर एक सप्ताह के अन्दर समस्त औपचारिकताओं को पूरा करते हुये कार्य/आपूर्ति करना होगा। अन्यथा ठेका निरस्त करते हुये जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
- 12- जमानत की धनराशि छः माह के पश्चात यदि कार्य सन्तोष जनक पाया गया तो वापस कर दी जायेगी।
- 13- निविदादाता को अपने निविदा/कोटेशन में स्पष्ट रूप से कम या अधिक प्रतिशत में देनी होगी। मदवार अलग अलग निविदा/कोटेशन में दरें मान्य होगी।
- 14- उपरोक्त निर्माण कार्य/आपूर्ति को मदवार अलग-अलग कोटेशन/निविदा मान्य होगी।
- 15- कार्य में/आपूर्ति में घट बढ़ होने पर अलग से कोई क्षति पूर्ति देय नहीं होगी।
- 16- भोश जानकारी किसी भी दिन कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
- 17- संबंधित फर्मों/दुकानों/एजेन्सीओं द्वारा अपने फर्म/दुकान/एजेन्सी के लेटर पैड पर क्रय आपूर्ति का कोटेशन मुहर बन्द लिफाफे में देना अनिवार्य होगा, अन्यथा कोटेशन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 18- निविदा/कोटेशन सूचना देवरिया की वेबसाईट www.deoria.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत रामपुर कारखाना,
देवरिया।

अध्यक्ष,
नगर पंचायत रामपुर कारखाना,
देवरिया।

पत्रांक /दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

- 1- जिलाधिकारी महोदय, देवरिया।
- 2- प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय, देवरिया को इस आशय से प्रेषित की उक्त अल्पकालिक निविदा/कोटेशन को अपने स्तर से वेबसाईट www.deoria.nic.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 3- मा0 समस्त अधिशासी अधिशासी गण नगर पालिका परिशद/नगर पंचायतें जनपद देवरिया।
- 4- नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 5- सम्पादक हिन्दुस्तान व अमर उजाला गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित की अपने समाचार पत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत रामपुर कारखाना,
देवरिया।

अध्यक्ष,
नगर पंचायत रामपुर कारखाना,
देवरिया।